न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– सोहनराम चौधरी आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 115/2007 दायर तारीख 11.07.2007

1. परमानन्द पुत्र पाबूदान जाति नायक निवासी हरिकिशनपुरा तहसील विराटनगर,

—: वादी

बनाम

1. प्यारसी पुत्री पाबूदान पत्नि सुवालाल जाति नायक निवासी गोल तन गठवाडी तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2. सुन्दरी पुत्री पाबूदान पत्नि हनुमान जाति नायक निवासी कच्ची बस्ती रोड नं. 17 वी.के.आई. ए. जयपुर।
3. विदामी पुत्री पाबूदान पत्नि हनुमान जाति नायक निवासी गोविन्दगढ, पावर हाऊस के पीछे तहसील आमेर, जयपुर
4. मोहरी उर्फ लक्ष्मी पुत्री पाबूदान पत्नि रामकुंवार जाति नायक निवासी माजरी खुद्र तहसील नीमराना, अलवर
5. रमेश उर्फ मंजू पुत्री पाबूदान पतिन मुकेश निमाजरी खुर्द तहसील नीमराना, जिला अलवर।
6. भंवरी पत्नि पाबूदान नायक हरिकिशनपुरा तहसील विराटनगर, जयपुर (फौत, नाम हजफ)
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
8. उप पंजीयक उप पंजीयन कार्यालय विराटनगर, जिला जयपुर।
9. पटवारी पटवार हल्का नौरंगपुरा तहसील विराटनगर

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री आनन्दसिंह शेखावत अधिवक्ता वादी

श्री गोपाल टांक अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 व 6

सत्य–प्रतिलिपि

उप खण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

निर्णय

दिनांक :– 29.05.2012

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम हरिकिशनपुरा पटवार हल्का नौरगपुरा तहसील विराटनगर के हाल खसरा नम्बर 515/1.12, 518/1.41 कुल किता 2 कुल रकबा 2.53 हेक्टेयर भूमि वादी के पिता की खातेदारी भूमि है, जिस पर वादी अपने पिता के जीवनकाल से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 वादी की बहिनें हैं, जिनका विवाह वादी के पिता ने अपने जीवनकाल मे कर दिया था और समय–समय पर वादी व उसका पिता, प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 के ससुराल मे होने वाले ठींचे, पते पर अपनी हैसीयत मुताबिक खर्चा लगाते रहे हैं एवं भात पेज का खर्चा लगया है। वादी ही अपने वृद्ध माता–पिता की सेवा–टहल, देखभाल करता है एवं आज भी वादी अपनी माता की सेवा–टहल [illegible] ी अपने पिता के एक मात्र

COMPAIRED BY

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:47:12 IST
Reason: SelfAttested

S.D.O.

Scanned by CamScanner

संतान होने से वादी के पिता ने अपनी स्वअर्जित उक्त खातेदारी भूमि जरिए वसीयत वादी के हक में छोडी है, वसीयत वादी के पिता ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से दो गवाहों की मौजूदगी मे लिखवाकर अपनी अंगूठा निशानी की है एवं गवाह भूणाराम की अंगूठा निशानी तथा गवाह सीताराम के हस्ताक्षर कराये हैं। वसीयत दिनांक 20.02.2007 से वादी के कब्जे एवं स्वामित्व मे है, जो वादी के पिता की मृत्यु होने के साथ ही प्रभाव मे आ गई है। वादी के पिता ने वादी के हक मे बनवाई वसीयत के पहले व बाद मे कोई अन्य वसीयत नहीं बनवाई है। इस प्रकार यह वसीयत वादी के पिता की प्रथम एवं अन्तिम वसीयत होने से वादी अपने पिता का वसीयती वारिस है एवं वादी को उक्त खातेदारी भूमि का वसीयत के आधार पर खाता खुलवाने का पूरा-पूरा हक है। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 भू-माफिया लोगों के बहकावे मे आकर एवं पटवारी हल्का से मिलकर अपने नाम खातेदारी दर्ज कराकर भूमि को शीघ्र खुर्द-बुर्द विक्रय करने पर उतारू हैं। इसलिए वादी ने वादपत्र बावत घोषणा खातेदारी हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि भूमि हाल खसरा नम्बर 515/1.12, 518/1.41 कुल किता 2 कुल रकबा 2.53 हैक्टेयर वाके ग्राम हरिकिशनपुरा पटवार हल्का नौरगंपुरा तहसील विराटनगर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं तदनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद कराया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से सदैव के लिए पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण, वादी को उक्त भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग-उपभोग करने देवे, किसी प्रकार की बेजा दखल या मजाहमत कारित नहीं करें।

2. दावा वाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तल्बी की गई। प्रतिवादी सं. 1 व 6 की तरफ से अधिवक्ता श्री गोपाल टांक उपस्थित हुए एवं इकबालिए जवाबदावा पेश कर वादी का दावा डिक्री किए जाने मे कोई आपत्ति नहीं जताई। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 की तरफ से अधिवक्ता श्री गणपतलाल पंसारी उपस्थित हुए तथा जवाबदावा पेश किया। तारीख पेशी 03.01.2012 को अधिवक्ता श्री गणपतलाल पंसारी ने No Instruction Plead किया जिस कारण प्रतिवादीगण को आवाज लगाई गई, प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए अतः उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में असल वसीयत पत्र पाबूदान नायक दिनांक 20.02.2007 प्रदर्श-1, नकल जमाबन्दी ग्राम हरिकिशनपुरा सवंत् 2060 से 2063 प्रदर्श-2, असल शपथ पत्र गवाह वसीयतनामा भूणाराम बणजारा दिनांक 20.02.2008 प्रदर्श-3, असल शपथ पत्र गवाह वसीयतनामा सीताराम नायक दिनांक 20.02.2008 प्रदर्श-4, इकरारनामा प्रतिवादी सं. 2 सुन्दरी देवी बहक परमानन्द प्रदार्श-5, इकरारनामा प्रतिवादी सं. 3 विदामी देवी बहक परमानन्द प्रदर्श-6 पेश की तथा मौखिक साक्ष्य के रूप में स्वयं वादी परमानन्द पी.डब्लू.-1, सीताराम पी.डब्लू.-2 व जगदीश उर्फ कालू पी.डब्लू.-3 के शपथ पत्र पेश किए गए।

4. बहस वकुलाय सुनी गई। वकील वादी की बहस रही कि आराजी जेरबहस वादी के पिता की खातेदारी भूमि रही है जिसके बाबत वादी के पिता ने अपने जीवनकाल में जरिए वसीयत वादी के पक्ष में लिख दी थी, जरिए वसी[illegible] अपने पिता की खातेदारी भूमि

सत्य-प्रतिलिपि
उप खण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

COMPAIRED BY

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:47:12 IST
Reason: SelfAttested

S. D. O.
ViratNagar (J...)

Scanned by CamScanner

पाने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 2 व 4 ने जरिए इकरारनामा मे यह स्वीकार किया है कि पाबूदान पुत्र जगन जाति नायक के हम 6 पुत्र/पुत्रिया हैं, जिनमें परमानन्द हमारा भाई है एवं उसी ने माता–पिता की देखभाल की है। हमारे पिता ने अन्तिम दिनों में हमारे भाई परमानन्द के हक मे वसीयत की थी, जिसकी हम सभी बहिनों को जानकारी रही है। वसीयत पत्र सही है और हमें मंजूर है। हम अपने पिता की सम्पत्ति में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहती। मौखिक साक्ष्य में स्वयं वादी ने शपथ पत्र पेश कर अभिकथन किया कि हाल खसरा नम्बर 515/1.12, 518/1.41 हैक्टेयर भूमि मेरे पिता के नाम से अलाट हुई थी। इस जमीन पर मैं, मेरे पिता के जीवनकाल से ही काश्त करता आ रहा हूँ, मेरे माता–पिता की सेवा भी मैंने ही की है। मेरे पिता का एक मैं ही बेटा हूँ जिससे मेरे पिता ने अपनी स्वयं की बनाई हुई वसीयत मेरे एक मे कराई है। उक्त वसीयत मेरे पिता की पहली एवं अन्तिम वसीयत है, जिस पर मेरे पिता एवं गवाह के अगूंठा निशानी एवं हस्ताक्षर हैं। गवाह सीताराम पुत्र सुवालाल पी.डब्लू.–2 व जगदीश उर्फ कालू पुत्र बालूराम पी.डब्लू.–3 ने उक्त तथ्यों की ताईद की है, तथा अपने शपथ पत्र में अभिकथन किया है कि पाबूदान ने हमारे सामने ही वसीयत पर अगूंठा निशानी की है। पाबूदान के मरने के बाद परमानन्द ही पाबूदान की जमीन जायदाद पर काबिज है एवं काश्त कर रहा है। वसीयत के आधार पर परमानन्द का ही हक बनता है। परमानन्द ही काश्त करता है। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 ने वादी के तथ्यों को लिखित में स्वीकार किया है। वादी ने अपना वाद बखूबी साबित किया है। वादी का वाद डिक्री किए जाने योग्य है। वकील प्रतिवादी द्वारा वाद को वसीयत के आधार पर डिक्री किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

5\. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस वकील वादी पर मनन किया गया। वादी का वाद घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है। विवेचनात्मक स्थिति निम्न प्रकार है :–

अ. आराजी जेरबहस वाके ग्राम हरिकिशनपुरा पटवार हल्का नौरंगपुरा तहसील विराटनगर के हाल खसरा नम्बर 515/1.12, 518/1.41 कुल किता 2 कुल रकबा 2.53 हैक्टेयर भूमि पक्षकारान के पिता/पति पाबूदान पुत्र जगन नायक के नाम दर्ज रिकार्ड है। पाबूदान का देहान्त दिनांक 29-5-07 हो गया था। पाबूदान के वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 6 वारिस है।

ब. प्रतिवादी सं. 1 व 6 द्वारा इकबालिए जवाब पेश किए प्रतिवादी सं. 2, 3 द्वारा भी लिखित में दावा डिक्री किए जाने, वसीयत की जानकारी होने एवं विवादित आराजी में हक, हिस्से का त्याग वादी के पक्ष में किए जाने की लिखित सहमति दी है। प्रतिवादी संख्या 4, 5 द्वारा तनकी के समर्थन में कोई दस्तावेजी/मौखिक साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किए हैं। इस कारण तनकीवार विवेचन किया जाना अपेक्षित नहीं रहा।

स. वादी परमानन्द विवादित आराजी अपने पिता की आवंटन से स्वअर्जित भूमि होना एवं पिता द्वारा विवादित आराजी की एक वसीयत दिनाक 20.02.2007 को वादी के पक्ष में निष्पादित किए जाने से वसीयत के आधार पर खातेदारी घोषणा चाही है। वादी ने असल वसीयत प्रदर्श–1 व वसीयत के गवाह भूणाराम पुत्र बाबूलाल का शपथ पत्र प्रदर्श–3, वसीयत के

सत्य–प्रतिलिपि
उप खण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

COMPAIRED BY

S. D. O.
विराटनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:47:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

दूसरे गवाह सीताराम पुत्र सुवालाल नायक का शपथ पत्र प्रदर्श–4 पेश किए है एवं मौखिक साक्ष्य के रूप मे भी वसीयत के गवाह सीताराम पी.डब्लू.–2 के बयान कराए है, जिसने वसीयत को सत्य एवं सही होना एवं मायूराम द्वारा उसके समक्ष निष्पादित किया जाना स्वीकार किया है। वादी स्वयं एवं स्वतन्त्र गवाह पी.डब्लू.–3 जगदीश पुत्र बालू ने भी वसीयत एवं वादी के विवादित आराजी पर कब्जे की पुष्टि की है। प्रतिवादी सं. 1 ग्यारसी, वादी की बहिन व वादी की माता प्रतिवादी सं. 6 ने भी इकबालिए जवाब से वाद के तथ्यों को स्वीकार किया है। प्रतिवादी संख्या 2, 3 ने अपने लिखित इकरारनामें/सहमति पत्र प्रदर्श–5 एवं प्रदर्श–6 में वादी के पक्ष में लिखित वसीयत को सत्य एवं सही होना एवं विवादित आराजी का वादी के पक्ष मे हकत्याग कर हक हिस्सा नहीं चाहने बाबत सहमति दी है।

6. उपर्युक्त विवेचना अनुसार वादी ने अपने वाद को बखूबी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से साबित किया है, जिसके आधार पर वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य है एवं वादी वादपत्र के माध्यम से चाहे गए अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है।

आदेश

7. वादी का वाद इस कदर डिक्री किया जाता है कि वाके ग्राम हरिकिशनपुरा पटवार हल्का नांगपुरा तहसील विराटनगर के हाल खसरा नम्बर 515/1.12, 518/1.41 कुल किता 2 कुल रकबा 2.53 हैक्टेयर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को सदैव के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि विवादित भूमि पर वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल कारित नहीं करें। वादी को शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त, उपयोग–उपभोग करने देवे। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिए जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे, निर्णय आज दिनांक 29.05.2012 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
S.D.O.
विराटनगर (Jaipur)

सत्य प्रतिलिपि
उप खण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

COMPAIRED BY

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:47:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner